Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce

Date: Lecture:-89
Page:

Sub:- Business Organisation (Sub)
Paper:- 1st, SNSRKS College, SAHARSA

B.Com Part - 1st

* Introduction

** Distinction Between Joint Stock Co. and Partnership **
(संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी और साझेदारी)

क्रम सं०	अंतर का आधार	संयुक्तपूँजीवाली सार्वजनिक कम्पनी	साझेदारी
1.	वैधानिक व्यक्ति एवं पृथक अस्तित्व	यह विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति है। इसका अस्तित्व अपने सदस्यों (अंशधारियों) से पृथक होता है।	साझेदारी का निर्माण आपसी समझौते द्वारा होता है। साझेदार और साझेदारी का अस्तित्व नहीं है। वे दोनों एक ही है।
2.	सदस्यों की अधिकतम संख्या :-	इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं है। केवल इतना प्रतिबन्ध अवश्य है कि इसमें निर्गमित अंशो की संख्या से अंशधारियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए	इसमें साधारण व्यापार के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 है और बैंकिंग व्यापार के लिए संख्या 10 है। इस सीमा को पार कर जाने से साझेदारी अवैध हो जाती है।
3.	न्यूनतम संख्या :-	इसके निर्माण के समय कम से कम सात सदस्यों का होना आवश्यक है।	इसके निर्माण के समय कम से कम अर्थात् केवल दो सदस्यों का होना पर्याप्त है।
4.	सम्पत्ति का अधिकार :-	संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल में सम्पत्ति अंशधारियों की नहीं होती है।	साझेदारी में सम्पत्ति सदस्यों की होती है।

Date : .....
Page : .....

5.	सम्मेलन अथवा पंजीयन :-	संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल का सम्मेलन कराना अनिवार्य है।	साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य न होकर ऐच्छिक है।
6.	दायित्व :-	अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गये अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है।	साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है।
7.	ऋणदाता :-	कम्पनी के ऋणदाताओं (Creditors) का सम्बन्ध अंशधारियों से नहीं होता है क्योंकि कम्पनी एवं उसके अंशधारी दोनों एक दूसरे से पृथक है।	इसमें ऋणदाताओं तथा सदस्यों का सीधा संबंध रहता है। यदि ऋणदाता चाहें, तो वह समस्त ऋण को केवल एक सदस्य से भी वसूल कर सकता है।
8.	प्रबन्ध में भाग लेना :-	अंशधारियों को कम्पनी के भाग लेने का अधिकार नहीं, इसका प्रबन्ध उनके द्वारा चुने गये संचालकों के हाथ में रहता है।	इसमें प्रत्येक सदस्य सक्रिय रूप से प्रबन्ध में भाग ले सकता है।
9.	हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण :-	अंशधारी हिसाब-किताब की पुस्तकों का निरीक्षण केवल अन्तर्नियमों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही कर सकते हैं।	प्रत्येक साझेदार हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है।
10.	हित हस्तान्तरण :-	साधारणतया अंशधारी अपने अंशों का हस्तान्तरण स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते हैं किन्तु निजी कंपनी में अंशों के हस्तान्तरण पर प्रतिबंध होता है।	साधारणतया कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तान्तरण नहीं कर सकता है। ऐसा केवल उसी दशा में सम्भव है जबकि अन्य सभी सदस्य सहमत हो।

Date :
Page:

11.	प्रलेखों में परिवर्तन अथवा लोच:-	कम्पनी अपने सीमानियम और पार्षद् अन्तर्नियमों में बँधी होती है, जो सन्नियम के अनुसार बहुत ही सीमित अवस्था में बदले जा सकते है।	साझेदार चाहे जब साझेदारी संलेख में परिवर्तन सर्वसम्मति से कर सकते है।
12.	अंकेक्षण:-	लेखा पुस्तकों का किसी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। यदि हिसाब को उचित ढंग से नही रखा गया है तो दण्ड भी दिया जा सकता है।	ऐसा करने के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नही है। यदि साझेदार चाहे तो वे अंकेक्षण करा सकते है।
13.	अनुबन्ध:-	अंशधारी कम्पनी के साथ अनुबन्ध कर सकते है।	साझेदारों के साझेदार साझेदारी के साथ कोई अनुबन्ध नही कर सकते है।
14.	लाभ का वितरण:-	कम्पनी का लाभ लाभांशों (Dividends) के रूप में बाँटा जाता है। अधिक लाभ होने की स्थिति में अन्तरिम लाभांशों की घोषणा की जा सकती है।	लाभ का वितरण परस्पर ठहराव के अनुसार किया जाता है या पूँजी के समानुपात से किया जाता है।
15.	प्रतिनिधि व्यवस्था:-	संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी में उसका प्रत्येक अंशधारी कम्पनी का प्रतिनिधि नही होता।	साझेदारी में उसका प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि माना जाता है।
16.	विधान:-	संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी भारतीय कम्पनी -	साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम-

		अधिनियम 1956 द्वारा नियंत्रित होती है।	साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा नियंत्रित होती है।
17.	स्वतंत्रता:	एक अंशधारी अपने कार्यों से कम्पनी को बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि अंशधारी का कंपनी से पृथक अस्तित्व होता है।	एक साझेदारी अपने कार्यों से साझेदारी को बाध्य कर सकता है, क्योंकि उसका साझेदारी से पृथक् अस्तित्व नहीं होता है।
18.	जीवन:	कम्पनी का जीवन सामान्य रूप में साझेदारी की तुलना में अधिक लंबा होता है।	साझेदारी का जीवन सामान्यतः कम्पनी की तुलना में छोटा होता है। किसी भी आकस्मिक घटना के घटित होने पर साझेदारी को बंद करना पड़ सकता है।
19.	समापन:	कम्पनी का समापन न्यायालय द्वारा अंशधारियों की सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा अथवा ऋणदाताओं की माँग पर किया जा सकता है।	साझेदारी की समाप्ति चाहे जब साझेदारों की सर्व सम्मति से अथवा किसी आकस्मिक घटना (जैसे - साझेदार की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन, आदि) के घटित होने पर हो जाती है।

End

Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
SNSRKS College, Saharsa